

UPLP060018382020



न्यायालय अपर सिविल जज,  
जू०डि० 7, लखीमपुर खीरी

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्या चौहान  
प्रा०दी० सं०-184 / 2005  
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०-145/2020

श्रीमती दीपा गुप्ता उम्र करीब 35 वर्ष पत्नी श्री राजेश कुमार गुप्ता  
निवासिनी मो० सिविल लाइन कपूरथला शहर, लखीमपुर परगना व  
जिला खीरी ...वादिनी

बनाम

1. वकार हुसैन उम्र करीब 45 वर्ष (मृतक)
  - 1/1 श्रीमती जीनत परवीन उम्र करीब 50 वर्ष पत्नी स्वर्गीय वकार हुसैन
  - 1/2 इकरार हुसैन पुत्र स्वर्गीय वकार हुसैन
  - 1/3 जावेद हुसैन पुत्र स्वर्गीय वकार हुसैन  
(समस्त निवासीगण मो० थरवनगंज शहर लखीमपुर, परगना व जिला खीरी)
  - 2-हसीन हुसैन उम्र करीब 40 वर्ष
  - 3-एजाज हुसैने उम्र करीब 38 वर्ष पुत्रगण स्व० अनवार हुसैन  
निवासीगण मो० थरवनगंज शहर लखीमपुर, परगना व जिला  
खीरी।
  - 4-माधुरी सक्सेना उम्र 78 वर्ष पत्नी स्व० श्री कैलाश नारायण  
सक्सेना नि० मो० गुडमण्डी शहर लखीमपुर, परगना व जिला खीरी।  
वारिदहाल 51/5 हरिद्वार रोड शहर परगना व जिला देहरादून  
उत्तरांचल।
- ...प्रतिवादीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण वास्ते  
निरस्तीकरण बैनामा हेतु संस्थित किया गया है।

2. संक्षेप में वादिनी का कथन है कि प्रतिवादी नं04 की कुछ इमारतें मो0 गुडमण्डी शहर लखीमपुर में थी। यह इमारतें दुकानों की शकल में थी तथा जुज अंश आवासीय भी था कुल इमारत इकजाई थी। प्रतिवादी सं04 ने अलग-अलग बैनामों से अपनी इमारत का विक्रय अलग-अलग अंशों में अलग-अलग लोगों को किया। वादिनी प्रतिवादिनी संख्या 04 की इमारत का एक अंश जो कि दुकानों की शकल में था, पंजीकृत बैनामा दिनांकित 07.07.2003 द्वारा क्रय किया और बैनामा की तिथि से क्रय शुदा इमारत पर काबिज हुई। वादिनी द्वारा क्रय किये गये इमारत पैमाइश व सीमायें पूरब-सड़क, पश्चिम-शेष मकानियत श्रीमती माधुरी सक्सेना प्रतिवादी नं04, उत्तर मकानियत भिखारी लाल खरीदकर्ता, दक्खिन-दुकान व मकान टेकचन्द्र, पूरब लाइन 12 फिट, पश्चिम लाइन 12 फिट, उत्तर लाइन 25 फिट तथा दक्षिण लाइन 25 फिट है। प्रतिवादी नं04 ने वादिनी के पक्ष में किये गये बैनामे में पूर्वी सीमा में सड़क 15 फिट दर्शायी गयी है, जबकि वास्तव में मौके पर वर्तमान सड़क की चौड़ाई 18 फिट है। नगर पालिका अभिलेखों के अनुसार इस सड़क के पश्चिम नगर पालिका की नाली भूमि सर्वे नं0-501/1 पर स्थित है और नाली के पश्चिम नगर पालिका की जुज भूमि जो कि पूरब, पश्चिम करीब 5 फिट चौड़ी है और इसके बाद प्रतिवादी नं04 की भूमि प्रारम्भ होती है। प्रतिवादी नं04 ने वादिनी के पक्ष में जिस इमारत का विक्रय किया इसके पूर्वी अंश में दुकान है जो कि पूरब को खुलती है। इस दुकान के पीछे अर्थात् पश्चिम की एक दुकान है जो कि पश्चिम को खुलती है। वादिनी द्वारा क्रय की गयी इमारत का पश्चिमी अंश जो बशकल दुकान है। प्रतिवादी नं01 ता 03 के पिता के पास किराये पर चली आ रही थी। वादिनी द्वारा इमारत क्रय कर लिये जाने के बाद प्रतिवादिनी नं01 ता 03 वादिनी के किरायेदार हो गये। वाद पत्र के साथ एक मानचित्र संलग्न है जो कि वाद पत्र का अंग है, संलग्न मानचित्र में इमारत के बिवादित अंश को अक्षर अ,ब,स,द तथा लाल रंग से दर्शित है। वादिनी द्वारा इमारत क्रय करने के बाद वादिनी ने प्रतिवादिनी नं0 1 ता 03 से किराये की मांग की और उन्हें इस तथ्य से अवगत करा दिया कि वादिनी ने प्रतिवादी नं01 ता 03 के किराये व कब्जे वाली दुकान के उस अंश को जो

कि वादिनी द्वारा कय की गयी। इमारत का पश्चिमी अंश है और जिसे नक्शा नजरी में लाल रंग से दिखाया गया है को कय कर लिया है। इस कारण प्रतिवादी नं01 ता 03 दुकान का किराया वादिनी को अदा किया करे। वादिनी के तमाम तलब तकाजों के बाद भी प्रतिवादी नं01 ता 03 ने किराये की अदायगी नहीं की और इसमें हीला हवाली करता रहा। वादिनी द्वारा प्रतिवादी नं01 ता 03 पर किराये की अदायगी का दबाव डालने पर प्रतिवादी नं01 ता 03 ने प्रतिवादी नं04 से साज करके वादिनी द्वारा पूर्व में कय की जा चुकी। इमारत को शामिल करते हुये एक बैनामा दिनांकित 30.06.2005 को प्रतिवादी 04 से करा लिया, जिसका पंजीकरण दिनांक 30.06.2005 को फोटो स्टेट प्रति संख्या 1 के खण्ड 35 पृष्ठ 109/142 पर क्रमांक 8665 पर हुआ। वादिनी को प्रतिवादीगण की नियत पर शक होने पर और इस चीज का आभास होने पर कि प्रतिवादीगण आपस में साज करके विवादित इमारत का बैनामा करा सकते हैं। प्रतिवादी नं04 को एक नोटिस पंजीकृत डाक से दिनांक 06.11.2004 को भेजी जिसे प्रतिवादिनी नं04 लेने से इन्कार करके वापस कर दिया। यह नोटिस आने पर वादिनी ने पुनः दिनांक 18.12.2004 को वादिनी ने डाक से एक नोटिस भेजा जो उसे प्राप्त हुआ। नोटिस के माध्यम से वादिनी ने प्रतिवादिनी नं04 को आगाह कर दिया था कि वह वादिनी द्वारा कय की गयी इमारत के विषय में दुबारा कोई विक्रय न करे। प्रतिवादिनी नं04 द्वारा प्रतिवादी नं01 ता 03 के पक्ष में निष्पादित बैनामा दिनांक 20.06.2005 जहां तक वादिनी द्वारा पूर्व में की जा चुकी इमारत के सम्बन्ध में है अवैध एवं शून्य निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादिनी नं04 द्वारा प्रतिवादी नं01 ता 3 के पक्ष में किये गये बैनामा दिनांक 30.06.2005 की जानकारी दिनांक 08.07.2005 को हुई बैनामे की जानकारी होने पर वादिनी द्वारा बैनामों की नकल निकलवाकर प्रस्तुत वाद अन्दर सीमा प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद का कारण न्यायालय श्रीमान के श्रवण सीमा व क्षेत्राधिकार में दिनांक 30.06.2005 को शहर लखीमपुर परगना व जिला खीरी में उत्पन्न हुआ और तबसे निरन्तर वर्तमान है और न्यायालय श्रीमान जी को वाद के श्रवण को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। क्षेत्राधिकार की दृष्टि से वाद का मूल्य मु0-50,000/-रु0

विवादित इमारत के बाजारी मूल्य पर किया जाता है। जिस पर न्यायाशुल्क मु0-4,157.50/-रु0 रुपये अदा किया जाता है।

3. प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में वादिनी के वाद में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि प्रतिवादिनी क्रम 04 द्वारा उत्तरदाता/प्रतिवादीगण 1 ता 03 के पक्ष में पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 30.06.2005 द्वारा हस्तान्तरित दुकाने प्राचीन निर्मित है तथा उन दुकानों की सीमाये चारों ओर बनी दीवारों से आच्छादित हैं उत्तरदाता/प्रतिवादीगण उक्त क्रय की गयी दुकानों पूर्वोक्त विक्रय पत्र के पूर्व से काफी समय से प्रतिवादिनी क्रम 04 के किरायेदार के रूप में पूर्वोक्त दुकानों पर काबिज दाखिल चले आ रहे थे तथा क्रय करने के दिनांक से उन दुकानों के अपने अधिकारों में स्वामी व काबिज चले आ रहे हैं। वादिनी अपने पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.07.2003 के द्वारा क्रय की गयी दुकान की सीमाओं में पश्चिम की ओर मकान विक्रेती माधुरी सक्सेना होना तथा पूरब में सड़क स्वीकार करते हुये तथा क्रय की गयी दुकान की वास्तविक स्थिति को भली भांति समझते हुये जो कि पश्चिम में स्थित दीवार की सीमा तक ही है, क्रय किया है, जिसमें की उत्तरदाता/प्रतिवादीगण 1 ता 3 के पक्ष में पूर्वोक्त पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2005 के द्वारा क्रय की गयी दुकानों का कोई भाग सम्मिलित होने का उल्लेख नहीं है। वस्तुतः वादिनी द्वारा क्रय की गयी दुकान एवं उत्तरदाता/प्रतिवादीगण 1 ता 3 द्वारा पृथक बयनामों से क्रय की गयी दुकानों का स्थल पर पृथक-पृथक अस्तित्व होने के कारण वादिनी उत्तरदाता/प्रतिवादीगण 1 ता 03 के विरुद्ध याचित अनुतोष के अधिकारी नहीं है। स्थल पर भी वादिनी द्वारा क्रय की गयी दुकान के समानान्तर पूरब दिशा में उत्तर व दक्षिण के निर्माण एक सीध में प्राचीनकाल से निर्मित चले आ रहे हैं। वादिनी को अपने पक्ष में क्रय की गयी दुकान के अस्तित्व माप एवं सीमाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जांच पड़ताल के उपरान्त ही विक्रयपत्र लिखाना चाहियेथा। प्रतिवादिनी 04 द्वारा उत्तरदाता/प्रतिवादीगण 1 ता 03 के पक्ष में दुकानों के विक्रय के उपरान्त अपनी क्रय की

गयी दुकान माप सम्बन्धी दोषों के आधार पर उत्तरदाता/प्रतिवादीगण 1 ता 3 के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं है। वादिनी अपने पक्ष में कय की गयी दुकान की माप में कमी का अनुभव करती है तो वह प्रतिवादिनी क्रम 4 के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है। वस्तुतः प्रख्यापन की आज्ञाप्ति जैसे न्यायालय के विवेकाधीन अनुतोष की वादिनी अधिकारिणी नहीं है। उत्तरदाता/प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 03 प्रश्नगत बयनामें द्वारा कय की गयी दुकानों अथवा उसके किसी अंश का वादिनी के कभी किरायेदार नहीं रहे हैं। उत्तरदाता/प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 3 अपने पक्ष में कय की गयी दुकानों के पूर्ण स्वामी व काबिज है तथा प्रस्तुत वाद में कथित अंश की दखलयाबी बाद ध्वस्तीकरण की याचना के अभाव में मात्र प्रख्यापन की आज्ञाप्ति का वाद पोषणीय नहीं है। प्रस्तुत वाद में याचित अनुतोष प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता/प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 3 के पक्ष में प्रश्नगत बयनामें के निरस्तीकरण का प्रतीत होता है, किन्तु वादिनी ने चालांकी से जान बूझकर न्याय शुल्क के बचाव हेतु प्रस्तुत वाद प्रख्यापन की आज्ञाप्ति के स्वरूप में योजित किया है। वस्तुतः प्रस्तुत वाद का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अनुसार खण्डित किये जाने योग्य है।

4. वादिनी द्वारा वाद पत्र में आदेश दिनांक 23.12.2008 के अनुपालन में दिनांक 26.02.2009 में वाद पत्र व वाद पत्र के शीर्षक में संशोधन किया गया जिसके अनुसार यह वाद केवल बयनामा निरस्तीकरण हेतु योजित है एवं वादिनी द्वारा प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के पक्ष में प्रतिवादिनी सं० 4 द्वारा निष्पादित बैनामा दिनांकित 30.06.2005 जिसका पंजीकरण फोटोस्टेट प्रति सं० 1 के खण्ड 3520 के पृष्ठ 109/142 के क्रमांक 8665 पर हुआ में वर्णित विक्रित इमारत का विवादित अंश जिसे वह नक्शा नजरी में अक्षर अ, ब, स, द व लाल रंग से दर्शाया गया है के विषय में बैनामा को निरस्त करके इसकी सूचना उपनिबन्धक लखीमपुर खीरी को दी जावे।

5. प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए मुख्यता: यह कथन किया कि उत्तरदाता प्रतिवादीगण में प्रश्नगत बैनामे द्वारा दो संयुक्त दुकानें जिनकी पृथक पृथक पूर्व पश्चित लम्बाई 13 फीट 8

इंच व पृथक पृथक चौड़ाई 8 फीट 6 इंच प्रत्येक अर्थात् कुल 13 फीट 8 इंच लम्बी व 17 फीट चौड़ी है तथा उनका पृथक अस्तित्व है जिसकी उत्तरदाता प्रतिवादीगण प्रश्रगत बैनाम के आधार पर स्वामी में काबिज है। वाद पत्र के अभिवचनों के अनुसार प्रश्रगत बैनाम द्वारा उत्तरदाता प्रतिवादीगण द्वारा अर्जित बैनाम की अतिरिक्त वादोत्तर की धारा 6 में वर्णित माप की दोनों दुकानों का कौन सा भाग विवादित है स्पष्ट नहीं किया है।

6. उभयपक्षों के अभिवचनों के अधार पर दिनांक 20.09.2007 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये-

1. क्या वादिनी विवादित ईमारत जिसे नक्शा नजरी में अ ब स द एवं लाल रंग से दर्शित कि बैनामा दिनांक 07.07.2003 के आधार पर स्वामिनी है?
2. क्या प्रतिवादी नं० 1 ता 3 के पक्ष में प्रतिवादिनी नं० 4 द्वारा निष्पादित बैनामा दिनांकित 30/06/2005 जहां तक वादिनी द्वारा पूर्व में क्रय की जा चुकी इमारत के सम्बन्ध में है। शून्य व अवैध होने के कारण निरस्त होने योग्य है?(यह वाद बिन्दु आदेश दिनांकित 24/09/2010 द्वारा पूर्व वाद बिन्दु संख्या 2 को कलमजद्ध कर पुनःविर्चित किया गया है।)
3. क्या ध्वस्तीकरण एवं दखलयाबी की याचना के अभाव में वादिनी का वाद पोषणीय नहीं है, जैसा कि प्रतिवाद पत्र की धारा 22 में वर्णित है?
4. क्या वादिनी का प्रस्तुत वाद संस्थित करने का वाद कारण प्राप्त नहीं है?
5. क्या वाद अधोमूल्यांकित है व प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
6. क्या दावा वादी पोषणीय नहीं है?
7. क्या दावा वादी आदेश-7 नियम-11 ज०दी० से बाधित है?
8. वादिनी किस अनुतोष को पाने की अधिकारिणी है?

7<sup>वा</sup> वादिनी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में फेहरिस्त सूची 8 ग 1 द्वारा एक किता नकल बैनामा माधुरी सक्सेना कागज संख्या 9 ग 1/1 ता 9 ग 1/18, एक किता छायाप्रति बेनामा द्वारा माधुरी सक्सेना पक्ष में दीपा गुप्ता कागज संख्या 9 ग 1/19 ता 9 ग 1/33, एक किता रजिस्ट्री ③

३०५/५

7

दिनांक 06-11-2004 कागज संख्या 11ग 1, एक किता नकल नोटिस दिनांक 06-11-2004 कागज संख्या 12ग 1, एक किता नकल रजिस्ट्री रशीद दिनांक 18-12-2004 कागज संख्या 13ग 1, व फेहरिस्त सूची 51 ग1 द्वारा असल बैनामा दिनांक 07-07-2003 द्वारा माधुरी सक्सेना वहक दीपा गुप्ता कागज संख्या 52 क 1/1 ता 52 क 1/15 व एक प्रपत्र (साइट प्लान) 10ग1 दाखिल किया गया है। अन्य कोई अभिलेखीय साक्ष्य वादी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. मौखिक साक्ष्य के रूप में वादिनी दीपा गुप्ता द्वारा बतौर पी0डब्लू0 1 स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र 40क2/1 ता 40क2/3, बतौर पी0डब्लू0 2 श्री मदन लाल पुत्र बाबूराम का साक्ष्य शपथपत्र 47क2/1 ता 47क2/2, बतौर पी0डब्लू03 श्री बुजकिशोर पुत्र इंद्रपाल साक्ष्य शपथपत्र का0सं0 53क2/1 ता 53क2/2 तथा बतौर पी0डब्लू04 श्री श्यामप्रकाश मिश्रा पुत्र स्व0 काशीराम का साक्ष्य शपथपत्र का0सं0 57क2/1 ता 57क2/2 प्रस्तुत किया गया है। कोई अन्य मौखिक साक्ष्य वादीगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 09.08.2011 को पी0डब्लू0 1 से, दिनांक 05.03.2012 को पी0डब्लू0 2 से तथा दिनांक 12.05.2014 को पी0डब्लू04 से प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा पूर्ण की गई। पी0डब्लू0 3 को प्रतिपरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं प्रार्थना पत्र 56 ग 2 द्वारा पी0डब्लू03 को डिस्चार्ज करने की स्वीकृती तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गई है। दिनांक 10.07.2014 को वादी की ओर से कोई अन्य लिखित या मौखिक साक्ष्य नहीं देने को पृष्ठांकन आदेश पत्र पर किया गया। तदोपरांत पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई।

9. प्रतिवादीगण द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कोई अभिलेख पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रतिवादीगण द्वारा बतौर डी0डब्लू01 श्री वकार हुसैन पुत्र अनवार हुसैन का साक्ष्य शपथपत्र 60क2/1 ता 60क2/2, बतौर डी0डब्लू02 लक्ष्मण

3

पुत्र श्री कृष्ण मुरारी का साक्ष्य शपथपत्र 67क2 ,बतौर डी0डब्लू03 अतीक अहमद पुत्र श्री सरीफ अहमद का साक्ष्य शपथपत्र तथा बतौर डी0डब्लू04 राजकुमार पुत्र श्री हुकुमचंद का साक्ष्य शपथपत्र 78क2 प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 20.08.2014 को डी0डब्लू0 1 से,दिनांक 04.02.2015 को डी0डब्लू0 2 से दिनांक 23.05.2015 को डी0डब्लू0 3 से तथा दिनांक 18.04.2016 को डी0डब्लू0 4 से वादीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा पूर्ण की गई। दिनांक 19.05.2016 को प्रतिवादी की ओर से अन्य साक्ष्य नहीं देने का पृष्ठांकन आदेश पत्र पर किया गया व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

11. पत्रावली पर वादीगण के प्रतिवेदन पर पारित न्यायालय आदेश दिनांकित 05.09.2005 के क्रम में आहूत आख्या कार्यवाही रिपोर्ट कमीशन प्रपत्र सं0 21ग2 मय नक्शा प्रपत्र सं0 22ग2 पत्रावली पर उपलब्ध है।

12. नियत दिनांक को प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस सुनी गयी।पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

13. निस्तारण वाद बिन्दु सं0-1

वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादिनी विवादित इमारत जिसे नक्शा नजरी में अ ब स द एवम लाल रंग से दर्शित कि बैनामा दिनांक 07.07.2003 के आधार पर स्वामिनी है? इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादिनी पर है। वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन किया गया कि प्रतिवादी नं० 4 ने वादिनी के पक्ष में जिस इमारत का विक्रय किया इसके पूर्वी अंश में दुकान है जो कि पूरब को खुलती है। इस दुकान के पीछे अर्थात पश्चिम की एक दुकान है जो कि पश्चिम को खुलती है। वादिनी द्वारा क्रय की गई इमारत का पश्चिमी अंश जो बशक़ दुकान है प्रतिवादिनी नं० 1 ता 3 के पास किराये पर चली आ रही थी। वादिनी द्वारा इमारत क्रय कर लिये जाने के बाद प्रतिवादी नं० 1 ता 3 प्रतिवादिनी के किरायेदार हो गये। प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करते हुए यह स्वीकार किया गया कि ①



वादिनी के पक्ष में कथित बिक्रित दुकान पूरब को खुलती है तथा जो पश्चिम की दुकान जो पश्चिम को खुलती है जिस पर प्रतिवादी न० 1 ता 3 बतौर किरायेदार काबिज थे। प्रतिवादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रतिवादी क्रम सं० 4 द्वारा प्रतिवादी 1 ता 3 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 30.06.2005 द्वारा हस्तांतरित दुकानें प्राचीन निर्मित है तथा उन दुकानों की सीमाएं चारों ओर बनी दिवारों से आच्छादित हैं। प्रतिवादी सं० 1 ता 3 विक्रय पत्र दिनांकित 30.06.2005 द्वारा हस्तांतरित दुकानों पर 30.06.2005 को निष्पादित प्रश्नगत बयनामों से पहले किरायेदार के रूप में दाखिल व काबिज चले आ रहे थे तथा क्रय करने की दिनांक से उन दुकानों के अपने अधिकारों में स्वामी व काबिज चले आ रहे हैं। वादिनी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.07.2003 में कहीं भी प्रतिवादीगण 1 ता 3 द्वारा विक्रय पत्र दिनांकित 30.06.2005 से क्रय की गई दुकानों का कोई उल्लेख नहीं। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 द्वारा क्रय की गई दुकानें पृथक बयनामों से क्रय की गयी हैं व इनका स्थल पर पृथक अस्तित्व है। वादिनी द्वारा उक्त कथनों का कोई लिखित खण्डन नहीं किया गया है। अमीन रिपोर्ट प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। अमीन रिपोर्ट और नक्शा कमीशन के अनुसार वादी की प्रदर्शित दुकान और चबूतरे को छोड़कर विवादित भूमि की कुल माप  $19 + 22 = 41$  फीट पश्चिम से पूर्व और भुजा ए डी 12 है जो कि वाद पत्र में उल्लेखित संपत्ति की माप से मेल नहीं खाता है। प्रतिवादि द्वारा अमीन आख्या पर आपत्ति प्रस्तुत की गई जो कि न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अधीन पुष्ट की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष के निष्पादित बैनामा क्रमशः दिनांकित 07.07.2003 व 30-06-2005 के अवलोकन किया गया। वादिनी के पक्ष में निष्पादित बैनामा में साइट प्लान 10 ग 2 में वादिनी द्वारा क्रय की गई दुकान की पूर्ण चौहद्दी भी प्रस्तुत नहीं की गई है। ना ही विवादित सम्पत्ति की स्पष्ट स्थिति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सर्वे कमीशन कराया गया है। इस प्रकार वादिनी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिस से वह वादपत्र में दर्शित विवादित संपत्ति की स्वामिनी साबित हो। वादिनी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस से यह पुष्टि हो सके कि मुख्य तौर पर कितनी भूमि का विवाद है क्योंकि वादिनी द्वारा प्रतिवादिगण की सम्पूर्ण दुकान को सम्मिलित करके गलत तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है।

(2006) 5 SCC 353 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है की "There is a presumption that a registered document is validly executed. A registered document, therefore, prima facie would be valid in law. The onus of proof, thus, would be on a person who leads evidence to rebut the presumption. In the instant case, Respondent No.1 has not been able to rebut the said presumption." वादिनी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रतिवादीगण 1 ता 3 के पक्ष में प्रतिवादिनी सं० 4 द्वारा किया गया बैनामा दिनांकित 30-06-2005 विधि के अनुसार सही होने की प्रकल्पना का खंडन किया जा सके।

14. वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में नक्शा नजरी बनायी गयी है जिसे वाद पत्र का अंश बताया गया है। नक्शा नजरी में विवादित अंश को अक्षर अ, ब, स, द तथा लाल रंग से दर्शाया है। पूरब से पश्चिम भुजा अ से ब 13 फुट 8 इंच व भुजा अ से द 12 फुट दर्शित किया गया है जबकि धारा 15 अ की छठी इमारत में पूर्वी भुजा 12 फुट पश्चिमी भुजा 12 फुट उत्तरी भुजा 7 फुट दक्षिणी भुजा 7 फुट दर्शित है जो कि आपस में विरोधाभासी है। वादी द्वारा नक्शा नजरी में नाली के पश्चिम कथित इमारत को पूरब से पश्चिम दो भाग में बांटा गया है जो कि 18 फुट 10 इंच X 12 फुट (दुकान वादिनी) व 13 फुट 8 इंच X 12 फुट जिसका कुल नाप पूरब लाइन 12 फिट, पश्चिम लाइन 12 फिट, उत्तर लाइन 32 फुट 6 इंच तथा दक्षिण लाइन 32 फुट 6 इंच होता है जबकि वादिनी द्वारा क्रय की गयी दुकान के बयनामे में दुकान का नाप पूरब लाइन 12 फिट, पश्चिम लाइन 12 फिट, उत्तर लाइन 25 फिट तथा दक्षिण लाइन 25 फिट है जो कि आपस में मेल नहीं खाते हैं। वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्रयशुदा दुकान के क्षेत्रफल में से वादिनी के कब्जे में कितना भाग कम है जिसके बावत अनुतोष चाहा गया है। वादिनी द्वारा अपने मानचित्र में प्रतिवादी की दुकान की स्थिति अंकित नहीं की गयी है जबकि वाद पत्र की धारा 4 में वादिनी की दुकान के पश्चिम प्रतिवादी 1 ता 3 की दुकान होना अंकित है। उक्त तथ्यों की समीक्षा हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 3 का अवलोकन

आवश्यक है जिसके अनुसार: "Where the subject matter of the suit is immovable property.-Where the subject matter of the suit is immoveable property, the plaint shall contain a description of the property sufficient to identify it, and, in case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement or survey, the plaint shall specify such boundaries or numbers."माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Pratibha Singh And Anr vs Shanti Devi Prasad And Anr**, के वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि "Order 7 Rule 3 of the CPC requires where the subject-matter of the suit is immovable property, the plaint shall contain a description of the property sufficient to identify it. Such description enables the Court to draw a proper decree as required by Order 20 Rule 3 of the CPC. In case such property can be identified by boundaries or numbers in a record for settlement of survey, the plaint shall specify such boundaries or numbers."

वादिनी पी०डब्ल्यू 1 ने जिरह के दौरान यह कथन किया "दुकान खरीदने से पहले मैंने दुकान देखी थी। मैंने जितनी दुकान खरीदी है वही मैंने देखा था। जब बैनामा कराया था तब उस दुकान में किरायेदार थे। बाद में माधुरी सक्सेना ने किरायेदार से दुकान खाली करवाकर मुझे कब्जा दिया था। यह भी मैं नहीं बता पाऊँगी कि मेरे द्वारा खरीदी गई दुकान में कोई तोड़फोड़ हुई है या नहीं। स्वयं कहा कि दुकान में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है। जितनी दुकान मैंने खरीदी थी उतनी पर मेरा कब्जा है। मेरे द्वारा खरीदी गई दुकान की उत्तर व दक्षिण लाइन 25 फिट है और पूर्वी व पश्चिमी लाइन 12 फिट है। इसी माप पर कब्जा माधुरी सक्सेना ने मुझे किया था जिस पर मैकाबिज हूँ। वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन किया गया है कि बयनामा दिनांकित 07.07.2003 द्वारा वादिनी ने एक इमारत क्रय की जबकि बैनामे के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि एक दुकान का निष्पादित हुआ है।"

15. वादिनी द्वारा जो नक्शा नजरी प्रस्तुत किया गया है उसमें सड़क नगरपालिका के पश्चिम नगर पालिका की नाली होना दर्शित है जिनकी मानचित्र में कोई माप दर्शित नहीं है। वाद पत्र की धारा 3 में

A

यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी नं० 4 ने वादिनी के पक्ष में किये गये बैनामे में पूर्वी सीमा में सड़क 15 फिट दर्शायी गयी है, जबकि वास्तव में मौके पर वर्तमान सड़क की चौड़ाई 18 फिट है। नगरपालिका अभिलेखों के अनुसार इस सड़क के पश्चिम नगरपालिका की नाली भूमि सर्वे नं०-501/1 पर स्थित है और नाली के पश्चिम नगरपालिका की जुज भूमि जो कि पूरब, पश्चिम करीब 5 फिट चौड़ी है और इसके बाद प्रतिवादी नं०4 की भूमि प्रारम्भ होती है परन्तु वादिनी की उपस्थिति में की गई कमीशन कार्यवाही के दौरान तैयार की गई आख्या में यह कथन है कि "बरवक्त कमीशन वादिनी ने बताया कि सभी दुकानें पांच फुट पूरब पश्चिम नगरपालिका की भूमि में बनी हैं तथा दुकान के सामने तीन फुट का चबूतरा नाली पर बना पाया गया है।" वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित नगरपालिका की भूमि, नगरपालिका की नाली इत्यादि की माप जैसे की उक्त स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादिनी द्वारा अपने जिरह में यह कथन किया गया है कि मेरी दुकान के सड़क में मध्य 5 फुट चौड़ी नाली है व इस नाली पर मेरा प्रोजेक्शन बना है इस प्रोजेक्शन का नक्शा मैंने पास कराया है या नहीं यह मुझे नहीं मालुम। सड़क के बाद सीधी दुकान ही है कोई चबूतरा या पटान नहीं है दुकान की पश्चिमी दिवार की मोटाई मुझे नहीं पता है। यह दिवार जैसे पहले थी वैसे आज भी है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। "पी०डब्ल्यू २ द्वारा अपने जिरह में यह कथन किया गया है दीपा गुप्ता मेरी लड़की है। बैनामे पर एक गवाही मेरी है। दूसरे किसने की याद नहीं है। बैनामा के साथ विक्रीत दुकान का नक्शा लगा है। उसमें सड़क से दुकान की दूरी 15 फुट लिखी है, जिसमें दुकान के सामने 3 फुट का प्रोजेक्शन है। यह प्रोजेक्शन विक्रीत दुकान में शामिल नहीं है। विवादित दुकान व प्रतिवादी वकार हुसैन की दुकान के मध्य दीवार है। इस दुकान से मेरे पूर्वी शहर की दूरी 18 फुट है। बैनामें में यह दूरी 25 फुट लिखी है।" इस प्रोजेक्शन का कथन कहीं भी वाद पत्र में नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा तथ्यों को न्यायालय से छुपा कर वाद पत्र योजित किया गया है। वाद पत्र, वादिनी द्वारा प्रस्तुत बैनामा, अमीन आख्या, अमीन नक्शा व गवाहों के बयान में विवादित सम्पत्ति के विवरण हेतु मतभेद हैं। जिस कारण विवादित सम्पत्ति की पहचान नहीं हो

सकती है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा तथ्यों को न्यायालय से छुपा कर वाद प्रस्तुत किया गया है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का यह सिद्धान्त है कि "The plaintiff cannot claim the relief as matter of right. It has to be granted according to sound principles of law and ex-debito justitiae. The Court can not convert itself into an instrument of injustice or vehicle of oppression. While exercising its discretionary power, the Court must keep in its mind the well settled principles of justice and fair play and the discretion would be exercised keeping in view the ends of justice since justice is the hallmark and can not be administered in vacuum."

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से विदित है कि वादिनी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वह विवादित सम्पत्ति की स्वामिनी साबित हो सके व वाद बिन्दु सं० 1 के साबित कर सके। वादिनी वाद बिन्दु सं० एक को साबित करने में पूर्णतः विफल रही है। अतः वाद बिन्दु सं० 1 वादिनी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

#### 16. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या- 2

वाद बिन्दु सं-2 इस आशय से विरचित किया गया है क्या प्रतिवादी नं० 1 ता 3 के पक्ष में प्रतिवादिनी नं० 4 द्वारा निष्पादित बैनामा दिनांकित 30/06/2005 जहां तक वादिनी द्वारा पूर्व में क्रय की जा चुकी इमारत के सम्बन्ध में है। शून्य व अवैध होने के कारण निरस्त होने योग्य है? उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादिनी पर है। बैनामा निरस्तिकरण हेतु विरचित वाद बिन्दु के निस्तारण के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 31 का अवलोकन आवश्यक है

**"31. When cancellation may be ordered.**(1) Any person against whom a written instrument is void or voidable, and who has reasonable apprehension that such instrument, if left outstanding may cause him serious injury, may sue to have it adjudged void or voidable; and the court may, in its discretion, so adjudge it and order it to be delivered up and cancelled.

(2) If the instrument has been registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908), the court

*shall also send a copy of its decree to the officer in whose office the instrument has been so registered; and such officer shall note on the copy of the instrument contained in his books the fact of its cancellation."*

**धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1983** के अनुसार किसी लिखत को रद्द करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

- (i) प्रश्नगत लिखत वादी के विरुद्ध या तो शून्य या शून्यकरणीय होना चाहिए।
- (ii) वादी को उक्त लिखित विद्यमान रहने से गंभीर क्षति होने की आशंका होनी चाहिए।

उक्त स्थिति में मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के विवेकाधीन मांगे गए सुरक्षात्मक और निवारक न्याय हेतु अनुतोष प्रदान कर सकता है। इस वाद बिन्दु हेतु यह विचारण करना आवश्यक है कि क्या उक्त परिस्थितियों में वादिनी प्रतिवादीगण 1 ता 3 के पक्ष में प्रतिवादिनी सं 4 द्वारा निष्पादित बयनामा निरस्त करा पाने की अधिकरिणी है। वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र की धारा 8 में यह कथन किया गया है कि वादिनी द्वारा प्रतिवादी नं० 1 ता 3 पर किराये की अदायगी का दबाव डालने पर प्रतिवादी 1 ता 3 ने प्रतिवादी सं० 4 के साथ साज्र करके वादिनी द्वारा पूर्ण में क्रय की जा चुकी इमारत को शामिल करते हुए एक बयनामा दिनांक 30-06-2005 को प्रतिवादिनी नं० 4 से करा लिया जिसका पंजीकरण दिनांक 30-06-2005 को फोटोस्टेट प्रति सं० 1 के खण्ड 3520 के पृष्ठ 109/142 पर क्रमांक 8665 पर हुआ। वादिनी द्वारा कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादिनी द्वारा क्रय की गई इमारत को पूर्णतः शामिल करके उक्त बयनामा निष्पादित हुआ है अथवा कुछ अंश को शामिल करके बैनामा निष्पादित हुआ है। वादिनी द्वारा अपने बयनामा दिनांकित 07-07-2003 व प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 30-06-2005 प्रस्तुत किया गया है। वादिनी के बैनामे के अनुसार वादिनी द्वारा 25X12 फुट की एक दुकान क्रय की गई जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत बैनामे से दो दुकानें 8 फुट 6 इंच X 13 फुट 8 इंच प्रत्येक क्रय की गई। वाद पत्र की धारा 8 के अनुसार यदि यह माना जाए कि वादिनी द्वारा क्रय की गई पूर्ण इमारत को सम्मिलित करते हुए प्रश्नगत बैनामा निष्पादित किया गया है तो वह दुकानों के (2)

20/5/8

माप के अनुसार सम्भव नहीं है। यदि इमारत का कुछ अंश शामिल करके प्रश्रगत बैनामा निष्पादित किया गया है तो वाद पत्र में वह अंश स्पष्ट नहीं किया गया है। धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम को बेहतर समझने हेतु निम्न कानून व्यवस्थाओं का अवलोकन आवश्यक है।

**In Vellayya Konar and another vs. Ramaswami Konar and another reported in AIR 1939 Madras 894,** his Lordship Wordsworth J Explained the difference between a cancellation of an instrument and a declaration that the instrument is not binding on the plaintiff as follows "When the plaintiff seeks to establish a title in himself and can not establish that title without removing an insuperable obstruction such as a decree to which he has, been a party or a deed to which he has been a party, then quite clearly he must get that decree or deed cancelled or declared void in toto and his suit is insubstance a suit for the cancellation of the decree or deed even though it be framed as a suit for a declaration. But when he is seeking to establish a title and finds himself threatened by a decree or a transaction between third parties, he is not in a position to get that decree or that deed cancelled in toto. That is a thing which can only be done by parties to the decree or deed or their representatives. His proper remedy therefore, in order to clear the way with a view to establish his title is to get a declaration that the decree or deed is invalid so far as he himself is concerned and he must therefore sue for such a declaration and not for the cancellation of the decree or deed. उक्त सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Noorul Hoda Vs. Bibi Raitunnisa & Ors., 1996 (7) SCC 766 Md.** में विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि "when the plaintiff seeks to establish a title to a property which cannot be established without avoiding the decree or an instrument the same stands as an insurmountable obstacle in his way, which otherwise binds him, though not a party, the plaintiff necessarily has to seek a declaration and have the decree, instrument or contract cancelled or set aside or rescinded. It was opined that Section 31 of the Specific Relief

3

Act, 1963 regulates suits pertaining to cancellation of an instrument, which lays down that any person against whom a written instrument is void or voidable and who has a reasonable apprehension that such instrument, if left outstanding, may cause him serious injury, can sue to have it adjudged void or voidable and the court may in its discretion so adjudge it and order it to be delivered or cancelled." वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस आधार पर वह प्रश्नगत बैनामे को निरस्त कराने की अधिकारी हैं।

17. धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत दूसरी शर्त के अनुसार प्रश्नगत बयनामे के विद्यमान रहने से गंभीर क्षति की आशंका वास्तविक होनी चाहिए। ऐसी आशंका वेग (*vague*) या कृत्रिम नहीं होनी चाहिए। वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में न तो कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे वह प्रश्नगत बैनामे से विक्रय की गई दुकान की मालिक की स्वामिनी साबित हो सके और न ही अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट किया है कि उनकी इमारत को पूर्णता शामिल करके अन्यथा किसी अंश को शामिल करके बैनामा निष्पादित किया गया है जो कि धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में न्यायालय को प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति हेतु अनिवार्य है। **Jeka Dula v. Bai Jivi AIR 1938 Bom. 37**, के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "the relief as to cancellation of an instrument is founded upon the administration of the protective justice for fear that the instrument may be vexatiously or injuriously used by the defendant against the plaintiff when the evidence to impeach it may be lost or that it may throw a cloud or suspicion over his title or interest. Section 39 is based upon the same principle. Mere speculation as to unknown and vague complication arising in future is no ground to take action under Section 39 of the Specific Relief Act, 1877."

18. वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र में उद्धोषणा व कब्जे हेतु कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। यह वाद केवल बैनामा निरस्तीकरण हेतु योजित है। वादिनी विवादित सम्पत्ति की स्वामिनी नहीं है जैसा कि वाद बिन्दु सं० 1 में निर्णित किया गया है यदि कब्जे के आधार पर वादिनी को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन अनुतोष प्रदान ①



२०८१  
९

कर भी दिया जाए तब भी ऐसे अनुतोष का लाभ वादिनी को प्राप्त नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा *Debi Pershad and Others Vs. Smt. Maika and Others*, के वाद में यह प्रतिपादित किया गया है कि "a suit filed by the plaintiff cannot be decreed if the plaintiff fails to establish his title to the disputed property only on the basis of possession. The plaintiff in the present case has failed to establish his title to the disputed property and admittedly is also not in possession. Even if a decree is granted to the plaintiff as sought for and the documents as mentioned in the relied portion of the plaint are held to be void and declared cancelled even then no benefit would be derived by the plaintiff either with regard to the title of the suit property or with regard to the possession. Mere possession in itself or possessory title does not entitle a person to a decree for cancellation of a written instrument unless the person can show his title to the property also. The plaintiff is also admittedly out of possession of the property from 1972 and therefore, suit should have also been filed for delivery of possession. Mere order as sought for under Section 31 of the Specific Act would not entitle the plaintiff to get the complete relief. On this count also the plaintiff has not been able to make out a case.

19. वाद को साबित करने का भार वादिनी पर है। वाद को साबित करने के लिए स्पष्ट प्लीडिंग्स, उपयुक्त साक्ष्य व साक्षियों का प्रयोग करना है जिन्हें न्याय की कसौटी परखकर न्यायालय अनुतोष प्रदान कर सके। **Ramti Devi Vs. UOI, (1995) 1 SCC 198** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "that to challenge a document which is a registered document, foundations have to be laid in the pleadings and thereafter, keeping in view the provisions of the Evidence Act, relevant and admissible evidence brought on record. It was opined that till a document, avoidance whereof is

3

sought is got cancelled by a proper declaration, the registered document binds the parties."

20. वादिनी का यह कथन है कि वादिनी के पक्ष में प्रतिवादी सं० 4 द्वारा निष्पादित बयनामे में पूर्वी सीमा में सड़क 15 फुट दर्शायी गयी है, जबकि वास्तव में मौके पर वर्तमान सड़क की चौड़ाई 18 फुट है। इस कथन का प्रश्नगत बयनामा के निरस्तीकरण से क्या सम्बन्ध है उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि वादिनी अपने बयनामे में कोई त्रुटि पाती है तो वह उसके लिए सक्षम न्यायालय में विधि के अनुसार वाद योजित करने के लिए स्वतंत्र थी। उक्त त्रुटि व मौके की वास्तविक स्थिति का ज्ञात वादिनी को पहले से है। इसका दुष्परिणाम प्रतिवादीगण को प्राप्त हो य अपनी कय की गयी दुकान माप सम्बन्धी दोषों के आधार पर उत्तरदाता/प्रतिवादीगण 1 ता 3 के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो यह न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में वाद बिन्दु संख्या 2 वादिनी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

21. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-3

वाद बिन्दु संख्या 3 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्या ध्वस्तीकरण एवं दखलयाबी की याचना के अभाव में वादिनी का वाद पोषणीय नहीं है, जैसा कि प्रतिवाद पत्र की धारा 22 में वर्णित है? इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। वाद पत्र में आदेश दिनांकित 23.12.2008 के आलोक में किये गये संशोधन के उपरान्त यह वाद केवल बयनामा निरस्तीकरण हेतु योजित है। अतः इस वाद बिन्दु का कोई औचित्य नहीं रह गया है। उक्त वाद बिन्दु का दोनों पक्षों द्वारा न ही कोई बल नहीं दिया गया है न कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है एवं न ही दोनों पक्षों द्वारा कोई बहस की गई है। अतः उक्त वाद बिन्दु नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

22. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-4

वाद बिन्दु संख्या 4 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्या वादिनी का प्रस्तुत वाद संस्थित करने का वाद कारण प्राप्त नहीं है? इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद बिन्दु के आलोक में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही कोई बहस की गई है। अतः यह वाद बिन्दु वाद प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

23. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-5 ①

वाद बिन्दु संख्या 5 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्या वाद अधोमूल्यांकित है व प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है? यह वाद बिन्दु दिनांक 01.02.2007 को निस्तारित किया जा चुका है।

24. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-6

वाद बिन्दु सं-6 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्या दावा वादी पोषणीय नहीं है? इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद बिन्दु के आलोक में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही कोई बहस की गई है। अतः यह वाद बिन्दु वाद प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

25. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-7

वाद बिन्दु संख्या 7 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्या दावा वादी आदेश-7 नियम-11 ज0दी0 से बाधित है? इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद बिन्दु के आलोक में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही कोई बहस की गई है। अतः यह वाद बिन्दु वाद प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

26. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-8


वाद बिन्दु संख्या 8 इस आशय से विचरित किया गया है कि वादिनी किस अनुतोष को पाने की अधिकारिणी है? उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों, उक्त विधि व्यवस्थाओं व वाद बिन्दु सं० 1 व 2 व के विनिश्चय के आलोक में न्यायालय का मत है कि वादिनी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। तदानुसार वाद बिन्दु सं०-8 वादिनी के विरुद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

27. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, विधि प्रावधानों तथा विवेचना के आलोक में प्रस्तुत वाद में विचरित वाद बिन्दुओं के विनिश्चय से यह स्पष्ट है कि वादिनी बैनामा दिनांकित 30-06-2005 को वाद पत्र में वर्णित कथानक के अनुसार निरस्त करा पाने में पूर्णतः विफल रही है। अतः न्यायालय के मत में वादी का वाद वास्ते निरस्तीकरण बैनामा दिनांकित 30.06.2005 जिसका पंजीकरण फोटोस्टेट प्रति सं० 1 के खण्ड 3520 के पृष्ठ 109/142 के क्रमांक 8665 सव्यय निरस्त होने योग्य है। 6

आदेश


वादी का वाद निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार अभिसंचित की जाए।

दिनांक-29/08/2023

  
सूर्या चौहान 29/8/23  
अपर सिविल जज जूडि० कोर्ट नं० 7  
लखीमपुर खीरी।  
(जे०ओ०कोड -UP3420)

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक-29/08/2023

  
सूर्या चौहान 29/8/23  
अपर सिविल जज जूडि० कोर्ट नं० 7  
लखीमपुर खीरी।  
(जे०ओ०कोड -UP3420)

Sir

Reem  
Sisimga  
30-08-2023